

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

राजगढ़ जिला चूरु

.....
फिदाबी

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट

नम्बर मुकदमा 239 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
25.11.2020	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थनी <u>फिदाबी पत्नी चन्द्रासा जाति जाट निवासी राधाघोषी</u> तहसील राजगढ़ जिला चूरु में इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. ख0नं0 <u>43, 230, कुल गाडाडी 6.51 ई० वाके रोडी राधाघोषी</u> तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थनी का गलत नाम <u>सरस्वती</u> भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थनी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थनी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थनी का असल व रिकार्डेड नाम <u>फिदाबी</u> दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थनी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. ख0नं0 <u>43, 230 कुल गाडाडी 6.51 ई० वाके रोडी राधाघोषी</u> तहसील राजगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थनी का गलत नाम <u>सरस्वती</u> के स्थान पर सही नाम <u>फिदाबी</u> शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेंगे।</p> <p>मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	